



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती

E-mail: dfonnagar-forest-uk@nic.in

Telefax- 0135-2442052

पत्रांक सं०:

/ 12-1

दिनांक 15/ 10 /2020

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग

श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर ।

विषय :-

जनपद-टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत खजरा दैजवाड़ी मोटरमार्ग के किमी० ०४ से आगे दरसीला पोंथ मंजुली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8725 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/28766/2017

सन्दर्भ :-

भारत सरकार का पत्रांक-०८बी/यू०सी०पी०/०६/७८/२०१८/एफ०सी०/१४०५ दिनांक ३०-०९-२०२० ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के माध्यम से भारत सरकार द्वारा विषयक मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी की गयी है, उल्लेखित शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

- 1- शर्त संख्या-०१ के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 2- शर्त संख्या-०२ के अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।
- 3- शर्त संख्या-०३ (क) के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर ३.७४५ हे० ग्राम-थाती डागर तहसील कीर्तिनगर की खसरा संख्या-६३६४, ६३६५ एवं ७२७२ सिविल सॉयम भूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु मु० १२,६२,७५४.०० धनराशि जमा करनी होगी। जहाँ तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाये तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से वचें। दर का निर्धारण प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या-क-९७२/३-५-२(II) दिनांक २१-११-२०१७ के अनुसार निर्धारित किया गया है।

वसूली वर्ष २०२०-२१ हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु धनराशि का विवरण -

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि -

1.8725 X 2 = 3.745 हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की दर प्रति हे०-

3,37,184.00 प्रति हे०

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु धनराशि-

3.745 X 3,37,184.00 = 12,62,754.08

या 12,62,754.00

शर्त संख्या-03 (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपांतरित किया जायेगा। भूमि हस्तान्तरण, नामान्तरण एवं नोटिफिकेशन करने के पश्चात ही भारत सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। गाईड लाइन पैरा-2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना होगा।

शर्त संख्या-03 (ग) के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन मण्डल अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

शर्त संख्या-03 (घ) के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।

4- शर्त संख्या-04 (क) के अनुपालन में राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि से प्रतिपूरक वनीकरण के चारों ओर सीमांकन और स्तम्भन का प्रॉक्कलन प्राप्त कर प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में अग्रिम रूप से जमा कराना होगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5- शर्त संख्या-05 के अनुपालन में एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 1.8725 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 12,30,233.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की नांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आवंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

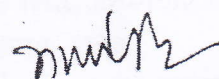
ईको-क्लास श्रेणी-	V
हरियाली का घनत्व-	0.30 Open Forest
एन0पी0वी की दर प्रति हे0-	मु0 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल-	1.8725 हे0
कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि-	$1.8725 \text{ हे0} \times 6,57,000.00 = 12,30,233.00$

शर्त संख्या- 05 (ख). के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

6- शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 70 वृक्षों से अधिक न हो तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।

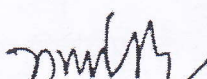
- 7- शर्त संख्या-07 के अनुपालन में User Agency will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage-II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from date of issue of such permission.
- 8- शर्त संख्या-08 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से ही मान्य होगी।
- 9- शर्त संख्या-09 के अनुपालन एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10- शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि आर0ई0सी0 मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाया जायेगा।
- 11- शर्त संख्या-11 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 12- शर्त संख्या-12 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सी0डब्लू0एल0डब्लू0/एन0वी0 डब्लू0एल0/एफ0ए0सी0/आर0ई0सी0 की सिफारिशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान किया जायेगा।
- 13- शर्त संख्या-13 के अनुपालन में यदि लागू हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 14- शर्त संख्या-14 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 15- शर्त संख्या-15 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।
- 16- विन्दु संख्या-16 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा की निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
- 17- विन्दु संख्या-17 के अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्रॉक्लन राजि अधिकारी माणिकनाथ राजि से तैयार कर प्रॉक्लनानुसार धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वन प्रभाग के पक्ष में जमा करना होगा। तथा तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र भी इस कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।
- 18- शर्त संख्या-18 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- 19- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो, लक्षित किया जायेगा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

- 20- शर्त संख्या-20 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 21- शर्त संख्या-19 के अनुपालन में केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी। इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 22- बिन्दु संख्या-22 के अनुपालन में यदि इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाईल संख्या-11-42/2017/एफ0सी0 दिनांक 29-01-2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।
- 23- बिन्दु संख्या-23 के अनुपालन में इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है जो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उनका भी पालन किया जायेगा।
- 24- शर्त संख्या-24 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि परियोजना निर्माण से उत्तसर्जित मलवे का निस्तारण परियोजना संलग्नक मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जायेगा।
- 25- शर्त संख्या-25 के अनुपालन में प्रयोक्ता यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी तथा इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
- 26- बिन्दु संख्या-26 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) पर भी अपलोड की जानी होगी।


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 1180 / 12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि :- राजि अधिकारी माणिकनाथ एवं कीर्तिनगर राजि को इस निर्देश के साथ कि वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं के निराकरण हेतु प्रस्तावक विभाग को अपेक्षित सहयोग प्रदान करते हुये सभी शर्तों की अनुपालना पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।


उप वन संरक्षक,
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।